vinetur

ATO के अनुसार, 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया का अल्कोहल कर अंतर A $1.23 अरब तक पहुंचा

अवैध उत्पादन, बिक्री की जानकारी न देना और अन्य उल्लंघन इस अनुमान में शामिल हैं; आंकड़ों से कर सुधार की उद्योग जगत की मांग तेज हुई है

सोमवार, 9 नवंबर 2026



ऑस्ट्रेलिया का अवैध अल्कोहल बाजार 2024-25 में बढ़ता रहा। सोमवार, 9 नवंबर को ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय (ATO) द्वारा पुष्टि किए गए आंकड़ों के मुताबिक, कर अंतर A $1.23 अरब तक पहुंच गया और बाजार के लगभग 14% के बराबर रहा।

ATO अल्कोहल कर अंतर का इस्तेमाल यह अनुमान लगाने के लिए करता है कि अवैध उत्पादन, बिक्री की जानकारी न देने और नियमों के अन्य उल्लंघनों के कारण हर साल उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के रूप में कितनी राशि का नुकसान होता है। नए आंकड़े बताते हैं कि 2015-16 के बाद से यह अंतर दोगुने से भी अधिक हो गया है और 2024-25 में A $685 मिलियन बढ़कर A $1.23 अरब पर पहुंच गया।

ये आंकड़े ऐसे समय में ऑस्ट्रेलिया के अल्कोहल के काले बाजार के आकार को लेकर चिंताएं बढ़ाते हैं, जब कानूनी स्पिरिट कारोबार दबाव में है। Food & Drink Business ने बताया कि संघीय सरकार ने 2024-25 से 2027-28 तक के चार वर्षों के लिए स्पिरिट से होने वाले अनुमानित राजस्व में लगभग A $2.3 अरब की कटौती की है। उसके मुताबिक, यह वैध स्पिरिट बाजार में गिरावट का संकेत है।

Spirits Council of Australia के कार्यकारी निदेशक Steven Fanner ने कहा कि ATO के आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जिसे वैध उत्पादक वर्षों से देख रहे हैं। उनके अनुसार, ऊंचे करों, व्यवस्था की खामियों और कमजोर नियमन के चलते बिना कर चुकाए उत्पादों को बाजार में पहुंचाना आसान हो रहा है और अवैध अल्कोहल का कारोबार फैल रहा है।

उन्होंने कहा कि इस रुझान से सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है, नियमों का पालन करने वाले उत्पादकों पर दबाव बढ़ रहा है और उपभोक्ता ऐसे उत्पादों के संपर्क में आ रहे हैं जिनका स्रोत और गुणवत्ता अनिश्चित है। उन्होंने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया में स्पिरिट पर कर प्रति लीटर अल्कोहल A $110.15 तक पहुंच गया है, जो उनके मुताबिक स्कैंडिनेविया के बाहर दुनिया में सबसे ऊंचा स्तर है।

Fanner ने इन नए आंकड़ों के आधार पर नीतिगत बदलावों की मांग करते हुए कहा कि कर ढांचा वैध उत्पादों को बिना कर वाले अल्कोहल के मुकाबले कम प्रतिस्पर्धी बना रहा है। यह बहस केवल डिस्टिलर्स तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे पेय कारोबार के लिए अहम है। उत्पाद शुल्क की दरों या प्रवर्तन में किसी भी बदलाव से वैध बीयर, वाइन और स्पिरिट की अवैध आपूर्ति से प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है। इससे कर संग्रह और काले बाजार के कारोबार पर सरकार की व्यापक प्रतिक्रिया भी प्रभावित होगी।

विवाद का दूसरा मुद्दा Alcohol Manufacturer's Remission Scheme है, जिसके तहत पात्र डिस्टिलर्स को A $400,000 तक की कर राहत मिलती है। Fanner ने कहा कि कुछ संगठन इस योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे वास्तव में उत्पादों का आसवन नहीं करते, बल्कि कर-मुक्त स्पिरिट को बाजार में पहुंचाते हैं। उनके अनुसार, वास्तविक डिस्टिलर्स को राहत देने के बजाय यह योजना वैध और अवैध कारोबार के बीच की सीमा धुंधली कर रही है।

Fanner के मुताबिक, अब इस कर राहत योजना से सरकार को उतनी लागत आ रही है जो 2021 में Morrison सरकार द्वारा इसे लागू किए जाने के समय के मूल अनुमान से लगभग तीन गुनी है। उन्होंने कहा कि योजना की बढ़ती लागत, अल्कोहल के काले बाजार का विस्तार और वैध स्पिरिट की बिक्री से घटता राजस्व—ये सभी इसकी समीक्षा की जरूरत दर्शाते हैं।

ATO के आंकड़ों से उद्योग के कुछ वर्गों की कर सुधार और अल्कोहल संबंधी रियायतों पर कड़ी निगरानी की मांग को बल मिलने की संभावना है। ये आंकड़े इस बात पर भी नए सिरे से ध्यान खींचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया उत्पाद शुल्क नीति और उसके प्रवर्तन के बीच संतुलन कैसे बनाता है। उत्पादकों का तर्क है कि बढ़ते शुल्क कुछ उपभोक्ताओं और कारोबारियों को सस्ते, बिना कर वाले अल्कोहल की ओर धकेल सकते हैं।

Fanner ने कहा कि समस्या को काबू करना और कठिन होने से पहले सरकार के पास कार्रवाई का समय अभी भी है। उन्होंने अधिकारियों से स्पिरिट पर कर के स्तर और कर राहत योजना के संचालन, दोनों पर ध्यान देने का आग्रह किया। उनके अनुसार, मौजूदा व्यवस्था अवैध बाजार को विस्तार करने दे रही है, जबकि वैध कारोबारियों के लिए व्यापारिक माहौल और कठिन होता जा रहा है।